उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

NORTH EAST REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, SHILLONG

(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(

(NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING)
UMIAM: RI-BHOI DIST: PIN - 793103

F.No. 18-1/2024-NERIE/C&W/Vol-III/ 389 Dated: 19 May, 2026

CIRCULAR

In pursuance of the Circular issued by the National Council of Educational Research and Training vide F. No. 1-1/2024-25/C&W/Misc./Vol. III/1710-1721 dated 18.05.2026 (copy enclosed), and in view of the prevailing global and national circumstances, as well as the message conveyed by the Hon'ble Prime Minister to the citizens of the country, all faculty members, officers, staff, students, trainees, and residents of NERIE Shillong are requested to extend full cooperation towards energy conservation and the judicious use of resources.

Accordingly, the following measures shall be observed:

- Employees and students residing within the campus are advised, as far as possible, to walk to nearby places for their household requirements and to use personal vehicles only in cases of extreme necessity.
- Employees residing in nearby areas are encouraged to use bicycles and public transport to the maximum extent possible.
- Employees commuting from distant places are advised to make maximum use of car-pooling arrangements and public transport such as buses and shared taxis/autos, as feasible.
- In office and residential campus, air conditioners, fans, lights, water, and other electrical appliances should be used strictly as required, and any unnecessary usage or wastage should be avoided.
- Depending upon the nature and requirement of work, decisions regarding the conduct of meetings, seminars, workshops, etc., in physical or virtual mode should be taken judiciously.

All concerned are requested to ensure strict compliance with the above instructions in the national interest.

This issues with the approval of the Competent Authority.

19/5/2026

Administrative Officer

Copy to:

1. All Faculty and Staff (including outsourcing, contractual & HGVs), NERIE
2. Chief Warden and Hostel Wardens (Boys and Girls)
3. Academic Section, NERIE (for circulation to the students)
4. Accounts Section, NERIE
5. Establishment Section
6. C&W Section
7. PA to Principal
8. All Notice Boards
9. ICT In-Charge (for circulating on NERIE Website) & on e-Office Notice Board
10. Concerned File

उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग
NORTH EAST REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, SHILLONG
(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(
(NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING)
UMIAM: RI-BHOI DIST: PIN - 793103

फ.स. 18-1/2024-NERIE/C&W/Vol-III/ 385 दिनांक: 19 मई, 2026

परिपत्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पत्र संख्या 1-1/2024-25/C&W/Misc./Vol. III/1710-1721 दिनांक 18.05.2026 (प्रति संलग्न) के माध्यम से जारी परिपत्र के अनुपालन में तथा वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को दिए गए संदेश के दृष्टिगत, नेरी शिलांग के समस्त संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, प्रशिक्षु एवं आवासीय परिसर के निवासी ऊर्जा संरक्षण तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए:

- परिसर में निवासरत कर्मचारी एवं छात्र यथासंभव निकटस्थ स्थानों पर घरेलू आवश्यकताओं हेतु पैदल आवागमन करें तथा निजी वाहनों का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही करें।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में निवासरत कर्मचारियों को साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- दूरस्थ स्थानों से आने वाले कर्मचारी, यथासंभव कार-पूलिंग व्यवस्था तथा बसों एवं साझा टैक्सी/ऑटो जैसे सार्वजनिक परिवहन साधनों का अधिकतम उपयोग करें।
- कार्यालय एवं आवासीय परिसर में वातानुकूलन यंत्र (ए.सी.), पंखे, प्रकाश व्यवस्था, जल तथा अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाए तथा अनावश्यक उपयोग एवं अपव्यय से बचा जाए।
- कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन को भौतिक अथवा आभासी माध्यम से आयोजित किए जाने संबंधी निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से लिए जाएँ।

राष्ट्रीय हित में सभी संबंधितों से उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

19/5/2026
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. नेरी के सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी (आउटसोर्सिंग, संविदा एवं एच.जी.वी. सहित)
2. मुख्य वार्डन एवं छात्रावास वार्डन (बालक एवं बालिका)
3. शैक्षणिक अनुभाग, नेरी (विद्यार्थियों में प्रसारण हेतु)
4. लेखा अनुभाग, नेरी
5. स्थापना अनुभाग
6. सी एंड डब्ल्यू अनुभाग
7. प्राचार्य के निजी सहायक
8. सभी सूचना पट्ट
9. आई.सी.टी. प्रभारी (नेरी वेबसाइट पर प्रसारण हेतु) एवं ई-ऑफिस सुचना पट्ट
10. संबंधित अभिलेख।

F. No. 1-1/2024-25/C&W/Misc./Vol.III/ 1710-1721

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING
Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110016
(Campus and Welfare)

Date: 18.05.2026

CIRCULAR

Subject: Regarding energy conservation and Judicious use of resources in view of the current global situation reg.

In the context of the prevailing global and national circumstances and the message given by the Hon'ble Prime Minister to the citizens of the country, cooperation is expected from all officers, employees, students, and residents of the residential campuses of NCERT & RIEs towards energy conservation.

In this regard, all employees, students, and residents living in the campuses of NCERT NIE and all RIEs are requested to:

- Employees and students residing within the campuses should, as far as possible, walk to the office/institute.
- Employees residing in nearby areas should use bicycles and public transport.
- Employees commuting from distant places should make maximum use of car-pooling and public transport such as buses, metro, and trains.
- In offices and residential campuses, ACs, fans, lights, water and other electrical appliances should be used only as required, and unnecessary use or misuse should be avoided.
- Depending on the requirement of work, decisions regarding conducting meetings, seminars, workshops, etc. through physical or virtual mode must be taken judiciously.

The effort taken towards energy conservation will be an important contribution of NCERT in the national interest. All concerned are expected to ensure strict compliance with the above instructions.

This issues with the approval of the competent Authority.

Under Secretary
(Campus & Welfare)

Copy for information, necessary action and wider awareness to:

1. Joint Director, CIET
2. Joint Director, PSSCIVE, Bhopal w.r.t circulate it in office
3. Principals of all RIEs and NERIE Shillong w.r.t circulate it in respective offices
4. CVO, NCERT
5. CAO, NCERT
6. All Heads of Departments/ Division/Cells/ Units/Sections etc. at NCERT HQ
7. All Business Managers, RPDC, NCERT w.r.t to circulate it in respective offices.
8. All Deputy Secretaries at NCERT HQ
9. P.S to the Director, NCERT
10. P.S to the Joint Director, NCERT
11. P.S to the Secretary, NCERT
12. All Notice Boards, NCERT Website, and e-Office
13. Guard File

Priority P1

May circulate amongst all students, residents & officials & other staff/worker in NERIE Campus.

Mrs Olinda UDC
SO(GSH)/C&W 19/5/26

फा.स. 1-1/2024-25/C&W/Misc./Vol.III/ 1710 – 1721
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016
(परिसर एवं कल्याण)

दिनांक : 18.05.2026

परिपत्र

विषय : वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत ऊर्जा संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में।

वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को दिए गए संदेश के संदर्भ में, एनसीईआरटी के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आवासीय परिसर के आवंटियों से ऊर्जा संरक्षण हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

इस संदर्भ में एनसीईआरटी एन.आई.ई एवं सभी आर.आई.ई परिसरों के कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आवासीय परिसर में रहने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध है कि:-

- परिसर में रहने वाले कर्मचारी एवं विद्यार्थी यथासंभव पैदल कार्यालय/संस्थान आएं।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारी साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- दूर से आने वाले कर्मचारी कार-पूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो एवं ट्रेन का अधिकाधिक उपयोग करें।
- कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों में AC, पंखे, लाइट, पानी एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार करें तथा अनावश्यक उपयोग या दुरुपयोग करने से बचें।
- कार्य की आवश्यकतानुसार बैठकें, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाए आदि भौतिक अथवा आभासी माध्यम से अपने विवेक के आधार पर करने का निर्णय लें।

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया यह प्रयास राष्ट्रहित में एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अवर सचिव
(परिसर एवं कल्याण)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी
2. संयुक्त निदेशक, पं.सु.श केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल को कार्यालय में प्रसारित करने हेतु
3. एनसीईआरटी के सभी आर.आई.ई एवं उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य को अपने-अपने कार्यालयों में प्रसारित करने हेतु
4. सी.वी.ओ एनसीईआरटी
5. सी.ए.ओ एनसीईआरटी
6. एनसीईआरटी मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, प्रकोष्ठ, इकाइयों, विभागों इत्यादि के प्रमुख
7. सभी बिजनस मैनेजर, आर.पी.डी.सी, एनसीईआरटी को कार्यालयों में प्रसारित करने हेतु
8. एनसीईआरटी मुख्यालय के सभी उप सचिव
9. निदेशक, एनसीईआरटी के निजी सचिव
10. संयुक्त निदेशक, एनसीईआरटी के निजी सचिव
11. सचिव, एनसीईआरटी के निजी सचिव
12. सभी सूचना पट्ट, एनसीईआरटी वेब साइट एवं ई-ऑफिस
13. गार्ड फाइल।